


### अधिहरित वाहनों की नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर के अधिहरित वाहनों का आम नीलाम दिनांक-15.12.2016 को दोपहर 12.00 बजे बडकला रेंज, बादशाहीबाग वन विश्राम गृह परिसर में किया जायेगा। इच्छुक क्रेता निश्चित तिथि एवं समय पर नीलामी में भाग ले। उक्त वाहनो को जहां जैसी स्थिति में है, उसी अनुसार नीलाम किया जायेगा।

अधिहरित वाहनों को सम्बन्धित रेंज में देखा जा सकता है तथा किसी भी कार्य दिवस में प्रभागीय कार्यालय, 82 राजविहार कालोनी, पेपर मिल रोड, सहारनपुर तथा क्षेत्रीय वनाधिकारी कार्यालय, मोहण्ड, शाकुम्भरी तथा बडकला रेंज, बादशाहीबाग में अधिहरित वाहनों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अधिहरित वाहनों की नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार है :-

- 1 नीलाम से पूर्व क्रेता को विभाग में अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। बिना पंजीकरण के नीलामी में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
- 2 नीलामी खुली बोली द्वारा की जायेगी। नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्रेता को अपना स्थाई निवास प्रमाण पत्र/पहचान पत्र/आधार कार्ड, फोटो सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 3 जिन क्रेताओं की ओर विगत वर्षों में कय की गयी लाटो की धनराशि शेष हो या ब्लैक लिस्ट किया गया हो, उन्हें नीलाम में बोली देने की आज्ञा नहीं दी जायेगी।
- 4 क्रेताओं को चाहिये कि वे पर्याप्त धनराशि अपने साथ लाये, क्योंकि अधिहरित वाहनों की लाटो की समस्त धनराशि, जिसमें विक्रय मूल्य, आयकर, व्यापार कर, स्टाम्प शुल्क, लाट ब्रिकी के तुरन्त बाद लागू दरों के आधार जमा करनी होगी। जमा की गयी धनराशि की पक्की रसीद ई-3 तुरन्त प्राप्त कर लें। नीलामी के लिये सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर के बिक्री के सामान्य नियम लागू होंगे।
- 5 क्रेताओं को चाहिये कि बोली देने से पूर्व लाटो का भली भांति निरीक्षण कर लें। लाट विक्रय होने के उपरान्त किसी भी प्रकार की शिकायत निराधार समझी जायेगी।
- 6 क्रेताओं को नीलाम से पूर्व नीलाम में प्रवेश करने हेतु रू0 1000 जमा करने आवश्यक होंगे। जो क्रेता नीलाम में गडबडी करेगा, उसे नीलाम में भाग लेने नहीं दिया जायेगा। बोली देकर यदि कोई क्रेता भाग जाता है, तो उसकी बन्धक धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 7 अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह लाटो की बिक्री का क्रम बदल दे, किसी लाट का नीलाम स्थगित कर दें। कई लाटो को मिलाकर एक ही लाट बना दें या टुकडे कर दें।
- 8 लाटो में कार्य आदेश लेने के समय क्रेता को पक्की रसीद ई-3 आवश्यक दिखानी होगी। पक्की रसीद ई-3 दिखाने पर ही कार्यादेश दिया जायेगा।
- 9 वन उपज/अधिहरित वाहन का ठेका लेने से पूर्व क्रेता को आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड की छाया प्रति तथा व्यापार कर विभाग से नियमानुसार पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 10 अधिहरित वाहनों का नीलाम कबाड के रूप किया जायेगा। वाहनों के पंजीयन के सम्बन्ध में प्रभाग स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- 11 किसी भी विवाद की दशा में वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
शिवालिक वन प्रभाग,  
सहारनपुर।

